रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II — खण्ड 3 — उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1303] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 25, 2007/कार्तिक 3, 1929
No. 1303] NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 25, 2007/KARTIKA 3, 1929

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

(पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 अक्तूबर, 2007

का.आ. 1821(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक और अनुच्छेद 148 के खण्ड (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारतीय लेखा परीक्षा विभाग में सेवारत व्यक्तियों के संबंध में, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक से परामर्श के पश्चात् तथा अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1487(अ), तारीख 14 अक्तूबर, 2005 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने से लोप किया गया है, केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) (संशोधन) नियम, 2007 है।

(2) ये 30 सितम्बर, 2006 से अर्थात् उस तारीख से प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे जिसको यथानुपात पेंशन का उपबंध वापस लिया गया था।

2. केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 37क के उप-नियम (8) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात् :

"(8) ऐसा स्थायी सेवक, जो पब्लिक सेक्टर उपक्रम या स्वायत्त निकाय के कर्मचारी के रूप में आमेलित किया गया है, उसके यथास्थिति, पब्लिक सेक्टर उपक्रम या स्वायत्त निकाय से सेवानिवृत्त होने के समय यथाप्रवृत्त इन नियमों के अधीन पेंशन/कुटुम्ब पेंशन की संगणना करने के सूत्र के अनुसार उसके द्वारा सरकार में और पब्लिक सेक्टर उपक्रम या स्वायत्त निकाय में की गई संयुक्त सेवा के आधार पर पेंशन संबंधी फायदों या अपने विकल्प पर केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए आदेशों के अनुसार केन्द्रीय सरकार के अधीन की गई सेवा के लिए यथानुपात सेवानिवृत्ति प्रसुविधाएं प्राप्त करने के लिए पात्र होगा।

स्पष्टीकरण :—पब्लिक सेक्टर उपक्रम/स्वायत्त निकाय से सेवानिवृत्ति पर आमेलित कर्मचारी की पेंशन/कुटुम्ब पेंशन की राशि की संगणना, उसी दिन सेवानिवृत्त होने वाले केन्द्रीय सरकार के किसी कर्मचारी की दशा के समान ही की जाएगी।"

[फा. सं. 4/60/2005 पी एंड पी डब्ल्यू (डी)]

रजनी राजदान, सचि

टिप्पण : मूल नियम का.आ. 934, तारीख 1 अप्रैल, 1972 द्वारा प्रकाशित किए गए थे । जुलाई, 1988 तक संशोधित नियमों का चौथा संस्करण वर्ष 1988 में प्रकाशित किया गया था । नियम बाद में पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग की निम्नलिखित अधिसूचनाओं द्वारा संशोधित किए गए थे :

1. का.आ. 254, तारीख 4 फरवरी, 1989
2. का.आ. 970, तारीख 6 मई, 1989
3. का.आ. 2467, तारीख 7 अक्तूबर, 1989
4. का.आ. 899, तारीख 14 अप्रैल, 1990
5. का.आ. 1454, तारीख 26 मई, 1990
6. का.आ. 2329, तारीख 8 सितम्बर, 1990
7. का.आ. 3269, तारीख 8 दिसम्बर, 1990
8. का.आ. 3270, तारीख 8 दिसम्बर, 1990
9. का.आ. 3273, तारीख 8 दिसम्बर, 1990
10. का.आ. 409, तारीख 9 सितम्बर, 1990
11. का.आ. 464, तारीख 16 फरवरी, 1991
12. का.आ. 2287, तारीख 7 सितम्बर, 1991
13. का.आ. 2740, तारीख 2 नवम्बर, 1991
14. सा.का.नि. 6, तारीख 7 दिसम्बर, 1991
15. सा.का.नि. 399, तारीख 1 फरवरी, 1992
16. सा.का.नि. 55, तारीख 15 फरवरी, 1992
17. सा.का.नि. 570, तारीख 19 दिसम्बर, 1992
18. का.आ. 258, तारीख 13 फरवरी, 1993
19. का.आ. 1673, तारीख 7 अगस्त, 1993
20. सा.का.नि. 449, तारीख 11 सितम्बर, 1993
21. का.आ. 1984, तारीख 25 सितम्बर, 1993
22. सा.का.नि. 389(अ), तारीख 18 अप्रैल, 1994
23. का.आ. 1775, तारीख 19 जुलाई, 1997
24. का.आ. 259, तारीख 30 जनवरी, 1999
25. का.आ. 904(अ), तारीख 30 सितम्बर, 2000
26. का.आ. 717(अ), तारीख 27 मई, 2001
27. का.आ. 4000, तारीख 28 दिसम्बर, 2002
28. का.आ. 860, तारीख 28 जुलाई, 2003
29. का.आ. 1483(अ), तारीख 30 दिसम्बर, 2003
30. का.आ. 1487(अ), तारीख 14 अक्तूबर, 2005

स्पष्टीकारक ज्ञापन

उन सरकारी कर्मचारियों का, जो पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं. 4/18/87-पी एंड पीडब्ल्यू (डी), तारीख 5-7-1989 के अधीन सरकारी विभाग में रूपांतरण के परिणामस्वरूप गठित पब्लिक सैक्टर उपक्रम या स्वायत्त निकायों में स्थानांतरित और आमेलित किए गए थे, उपलब्ध यथानुपात मासिक पेंशन लेने के विकल्प को अधिसूचना सं. का.आ. 904(अ), तारीख 30-9-2000 द्वारा 30-9-2000 से वापस ले लिया गया था। उसी उपबंध को अधिसूचना सं. का.आ. 1487(अ), तारीख 14-10-2005 द्वारा 14-10-2005 से प्रत्यावर्तित किया गया था । वही उपबंध इस अधिसूचना द्वारा 30-9-2000 से प्रत्यावर्तित हो चुके हैं। यह सत्यापित किया जाता है कि इस अधिसूचना का भूतलक्षी प्रभाव देने से किसी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(Department of Pension and Pensioners Welfare)

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th October, 2007

S.O. 1821(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 and clause (5) of Article 148 of the Constitution and after consultation with the Comptroller and Auditor General of India in relation to persons serving in the Indian Audit and Accounts Department and in supersession of the notification number S.O. 1487(E) dated 14th October, 2005 except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules further to amend the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972, namely :—

1. (1) These rules may be called the Central Civil Services (Pension) (Amendment) Rules, 2007.

(2) They shall be deemed to have come into force from the 30th day of September, 2000 i.e. date from which provision of pro-rata pension was withdrawn.

2. In the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972, in rule 37A, for sub-rule (8), the following sub-rule shall be substituted, namely :—

"(8) A permanent Government servant who has been absorbed as an employee of a public sector undertaking or autonomous body shall be eligible for pensionary benefits on the basis of combined service rendered by him in the Government and in the public sector undertaking or autonomous body in accordance with the formula for calculation of pension/family pension under these rules as may be in force at the time of his retirement from the public sector undertaking or autonomous body, as the case may be or at his option, to

receive pro-rata retirement benefits for the service rendered under the Central Government in accordance with the orders issued by the Central Government.

EXPLANATION.—The amount of pension/family pension of the absorbed employee on superannuation from Public Sector Undertaking/Autonomous Body shall be calculated in the same way as would be the case with a Central Government servant, retiring on superannuation, on the same day."

[F. No. 4/66/2005-P & PW (D)]

RAJNI RAZDAN, Secy.

Note: The principal rules were published *vide* number S.O. 934, dated the 1st April 1972. The Fourth Edition of the rules corrected upto July, 1988 was published in the year 1988. The rules were subsequently amended *vide* Department of Pension and Pensioners' Welfare numbers [illegible]

1. S.O. 254 dated the 4th February, 1989
2. S.O. 970 dated the 6th May, 1989
3. S.O. 2467 dated the 7th October, 1989
4. S.O. 599 dated the 14th April, 1990
5. S.O. 1454 dated the 26th May, 1990
6. S.O. 2329 dated the 8th September, 1990
7. S.O. 3269 dated the 8th December, 1990
8. S.O. 3270 dated the 8th December, 1990
9. S.O. 3273 dated the 8th December, 1990
10. S.O. 409 dated the 9th December, 1990
11. S.O. 464 dated the 16th February, 1991
12. S.O. 2287 dated the 7th September, 1991
13. S.O. 2740 dated the 2nd November, 1991
14. G.S.R. 6 dated the 7th December, 1991
15. G.S.R. 399 dated the 1st February, 1992
16. G.S.R. 55 dated the 15th February, 1992
17. G.S.R. 570 dated the 19th December, 1992
18. S.O. 258 dated the 13th February, 1993
19. S.O. 1673 dated the 7th August, 1993
20. G.S.R. 449 dated the 11th September, 1993
21. S.O. 1984 dated the 25th September, 1993
22. G.S.R. 389(E) dated the 18th April, 1994
23. S.O. 1775 dated the 19th July, 1997
24. S.O. 259 dated the 30th January, 1999
25. S.O. 904(E) dated the 30th September, 2000
26. S.O. 717(E) dated the 27th May, 2001
27. S.O. 4000 dated the 28th December, 2002
28. S.O. 860(E) dated the 28th July, 2003
29. S.O. 1483(E) dated the 30th December, 2003
30. S.O. 1487(E) dated the 14th October, 2005

EXPLANATORY MEMORANDUM

Option to draw pro-rata monthly pension available to the Government servants who were transferred and absorbed in Public Sector Undertakings or Autonomous Bodies set up consequent upon conversion of a Government Department under Department of Pension and Pensioner's Welfare's O.M. No. 4/1[illegible]/87-P & PW (D) dated 5-7-1989 was withdrawn w.e.f. 30-9-2000 vide Notification No S.O. 904(E) dated 30-9-2000. The same provision was restored through Notification No. S.O. 1487(E) dated 14.10.2005 w.e.f. 14-10-2005. The same provision has been restored through this notification w.e.f. 30-9-2000. This is certified that no one shall be adversely affected by giving retrospective effect to this notification.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054